>

Title: Need to provide water for drinking and irrigation purposes in Gujarat.

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा और मेहसाना जिलों में पानी का स्तर नीचे जाने के वजह से 57 ब्लॉकों में डार्क जोन का कानून लगा हुआ है। इस कानून की वजह से इन 57 ब्लॉकों में किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए बिजली नहीं मिल रही है। पूरे राज्य का 30 प्रतिशत क्षेत्र बिजली न मिलने के कारण सिंचाई के अभाव में विकास से वंचित है।

गुजरात में फ्लड ड्रैनेज चैनल के निर्माण के लिए उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए छोटी केनालों के निर्माण पर तथा अकालग्रस्त गांवों और 57 ब्लॉक जिनमें डार्क जोन लगा हुआ है, वहां नहरों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर निर्माण कार्य कराये जायें।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुजरात राज्य में पीने के पानी एवं सिंचाई हेतु नर्मदा परियोजना से सभी क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाये। भूजल संवर्धन, सिंचाई के लिए आवश्यक निर्माण कार्यों एवं डार्क जोन में सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल एवं गैस निकालने से होने वाली समस्याओं पर ध्यान देकर उसे दूर किया जाये।